



## सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

### प्रेस-विज्ञप्ति

संख्या— 702

07 / 07 / 2020

### प्रेस विज्ञप्ति

## कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये जिला पदाधिकारी स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर अपने क्षेत्र में जरुरी प्रतिबंध लगा सकते हैं

**पटना, 07 जुलाई 2020 :—** गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक- 2 के आदेश में वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक अतिरिक्त तथा अधिक कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। अतः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश के अतिरिक्त स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर वे अपने क्षेत्र में जरुरी प्रतिबंध लगायेंगे।

बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने तथा दुकानदारों के द्वारा मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों के समीपवर्ती दुकानों को भी 2 दिनों तक बंद रखने का भी आदेश जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जा सकेगा।

होटल, बैंकवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जायेगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निदेश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंकवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जायेगा।

यह प्रयास किया जायेगा कि एक होटल, बैंकवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाय।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जायेगा, जहाँ जिला पदाधिकारी परिस्थितियों का आंकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

\*\*\*\*\*